वृक्षों का सारांश बांज प्रजाति

कार्य का नाम :– चमोली–पलेठी– सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

क्रम सं0	भूमि का प्रकार	पेड़ों की प्रजाति	व्यासवार वर्ग विवरण										
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90->	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ग्राम गोलिम Civil	बांज	22	-	3	2	1	-	-	-	-	-	28
2	ग्राम सिरवा नाप	बांज	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
3	सिविल रोपा	बांज	50	61	36	3	1	1	-	-	-	-	152
4	ग्राम रोपा नाप	बांज	3	9	1	-	-	1	-	-	-	-	14
5	ग्राम सेमडुंग्रा नाप	"	21	14	15	05	-	-	-	-	-	-	55
6	ग्राम कालीमाटी Civil	"	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	4
7	नाप कालीमाटी	"	4	6	12	1	1	-	-	-	-	-	24
8	सिविल मैठाणा	"	-	7	1	-	-	-	-	-	-	-	8
9.	सेमडुंग्रा सिविल	"	16	05	3	1	-	-	-	-	-	-	25
	महायोग –		116	105	73	12	3	2	0	0	0	0	311

वनक्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
पीपलकोटी रेंज
बद्रीनाथ गोपेश्वर

उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

परियोजना का नामः- चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 05.01.2015 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री नत्था सिंह राणा, वन दरोगा, राजस्व विभाग की ओर से श्री प्रेम प्रकाश गोस्वामी, उप राजस्व निरीक्षक, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री शरद कुमार टम्टा, कनिष्ट अभियन्ताा द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि 0.00 हे0, सिविल एवं सोयम वन भूमि 3.920 हे0, वन पंचायत भूमि 0.00 हे0 एवं नाप भूमि 1.54 हे0 प्रभावित होती है। मार्ग निर्माण हेतु अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि की चौड़ाई 7.00 मी0 ली गई है एवं मार्ग का निर्माण 6.00 मी0 चौड़ाई में किया जायेगा। प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनो के चयन हेतु भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृश्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 2200 मी0 नाप भूमि.से, 5600 मी0 सिविल भूमि से, 0.00 मी0 वन पंचायत से 0.00(मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 1.54 हे0 नाप भूमि 3.92 हे0 सिविल भूमि 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि 0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 3.92 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी । इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर लगभग 777 वृक्ष व नापभूमि 170 बृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे।

इस समरेखण के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखे गये उसमें 1800 मी0 नाप भूमि.से, 6000 मी0 सिविल भूमि, 0.00 मी0 वन पंचायत से 0.00 (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में 1.26 हे0 नाप भूमि, 4.20 हे0 सिविल भूमि, 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि, 0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 4.20 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी ।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चुने गये संरेखण का प्रारम्भ होने का स्थल का जी0पी0एस0 मान 79°19'40-15" – E, 30°23'25-84" – N है तथा यह स्थल चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग के सिकोटी नामक स्थान से प्रारम्भ होता है, समरेखण का अन्तिम स्थल ग्राम चलथर है, जिसका जी0पी0एस0 मान 79°20'5.82" – E, 30°22'14.58" – N है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारहण्य का हिस्सा नही है । चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही होगा ।

इस समरेखण पर मार्ग के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु विभिन्न स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPS मान 79°19'39.35"-E, 30°23'24.63"-N, 79°19'40.79"-E, 30°23'2.41"-N, 79°19'56.51"-E, 30°22'48.77"-N, 79°20'39.31"-E, 30°22'32.30"-N, 79°20'41.91"-E, 30°22'23"-N, 79°20'32.42"-E, 30°22'25.78"-N, 79°20'6.60"-E, 30°22'15.59"-N, हैं।

मलवा निस्तारण हेतु डम्पिंग जोन प्रस्तावित हैं।

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

वन क्षेत्राधिकारी
चमोली रेंज
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

अमीन

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
पीपलकोटी रेंज
गोपेश्वर

उप जिलाधिकारी
चमोली

प्रभागीय वनाधिकारी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अलकनन्दा भूमि संरक्षण
वन प्रभाग-गोपेश्वर

लम्बाई एवं चौड़ाई का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग मोटर मार्ग निर्माण में चयनित स्थल हेतु 1.54 हे0 नाप, 3.92 हे0 सिविल वनभूमि पड़ती है, मार्ग निर्माण हेतु 7.00 मी0 चौड़ाई में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है तथा मार्ग का निर्माण 7.00 मी0 चौड़ाई में किया जायेगा।

2200 मी0 x 7 मी0 =	15400 वर्ग मी0	-	1.54 हे0 नाप वनभूमि
5600 मी0 x 7 मी0 =	40600 वर्ग मी0	-	3.92 हे0 सिविल वनभूमि
40 मी0 x 6 मी0 x 7=	1680 वर्ग मी0	-	0.168 हे0 सिविल वनभूमि(मक डिस्पोजल)

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पटवारी

तहसीलदार
तहसीलदार
(सदर)
चमोली।

उपजिलाधिकारी,
उप जिलाधिकारी
चमोली

प्रभागीय वनाधिकारी

Attachment 2.36

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

परियोजना का नामः— चमोली पलेठी सरतोली मोटर मार्ग के स्थाल सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनूसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5—3/2007—एफ0सी0 दिनांक 05—02—2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार हैः—

1.	ईको—क्लास श्रेणी —	V
2.	हरियाली का घनत्व —	0.3
3.	एन0पी0वी0 की दर प्रति है0 —	6,57,000.00
4.	आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल—	4.088
5.	कुल देय एन0पी0वी. की धनराशि—	26,85,816.00

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।